पत्रांक–01 / स्था0 (विविध)–13 / 2017 ..... 2412 .....न0वि0एवं.आ0वि0

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

अत्यावश्यक / महत्वपूर्ण

सेवा में,

नगर आयुक्त,
सभी नगर निगम।
कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी नगर परिषद्।

पटना, दिनांक–14/5/19

विषयः– **कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के विभिन्न उपबंधों का अनुपालन के संबंध में।**

प्रसंगः– **विभागीय पत्रांक–1694 दिनांक–19.03.2019, पत्रांक–2148 दिनांक–24.04.2019 एवं पत्रांक–2275 दिनांक–03.05.2019**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र (छायाप्रति संलग्न) के संबंध में कहना है कि कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के विभिन्न उपबंधों के अधीन आपके कार्यालय में कार्यरत संविदा / दैनिक वेतनभोगी / आऊटसोर्स कर्मियों को नियमानुसार कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ दिया जाना है।

उक्त अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन नहीं किए जाने के आलोक में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्राधिकारियों को युक्तियुक्त अर्थदण्ड अधिरोपित करने तथा बैंक खाता जब्त किए जाने की शक्ति प्राप्त है।

विदित हो कि संविदा / दैनिक वेतनभोगी / आऊटसोर्स कर्मियों को भविष्य निधि का लाभ दिए जाने के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर जनहित याचिका CWJC No. 17372/2017 से उद्भूत अवमाननावाद सं0–2915 / 2018 (शंभूशरण सिंह बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य) में दिनांक–10.04.2019 को दिये गये न्यायादेश में उक्त अधिनियम के अनुपालन संबंधी निदेश दिये गये हैं। मामले में अगली सुनवाई माह जुलाई, 2019 के प्रथम सप्ताह में निर्धारित है।

अतः उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है कि:–

1. आपके कार्यालय में वर्तमान में कार्यरत सभी संविदा / दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को पंजीकृत करते हुए कर्मियों का माह मार्च, 2019 के मानदेय / वेतन से अंशदान नियोक्ता अंशदान सहित समेकित राशि अचूक रूप से EPFO कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए तत्संबंधी प्रतिवेदन दिनांक–20.05.2019 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

2. अप्रैल, 2019 से प्रतिमाह नियोक्ता अंशदान सहित समेकित राशि EPFO कार्यालय को उपलब्ध कराने संबंधी साक्ष्य के साथ विभाग को माह मई, 2019 के अंतिम सप्ताह तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

3. माह मार्च, 2019 से पूर्व कर्मियों के बकाया कर्मचारी अंशदान / नियोक्ता अंशदान के संबंध में भी कार्रवाई करते हुए विभाग को सूचित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

कृपया उपरोक्त सभी प्रतिवेदन MIS के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
14.5.19
सरकार के विशेष सचिव।

पत्रांक–01/स्था0 (विविध)–13/2017 2275 न0वि0एवं.आ0वि0

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
सभी नगर निगम।
कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी नगर परिषद्।

पटना, दिनांक–03/05/19

विषयः– **कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के विभिन्न उपबंधों का अनुपालन के संबंध में।**

प्रसंगः– **विभागीय पत्रांक–1694 दिनांक–19.03.2019 एवं पत्रांक–2148 दिनांक–24.04.2019**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र (छायाप्रति संलग्न) के संबंध में कहना है कि कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के विभिन्न उपबंधों के अधीन आपके कार्यालय में कार्यरत संविदा/दैनिक वेतनभोगी/आऊटसोर्स कर्मियों को नियमानुसार कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ दिया जाना है।

उक्त अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन नहीं किए जाने के आलोक में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्राधिकारियों को युक्तियुक्त अर्थदण्ड अधिरोपित करने तथा बैंक खाता जब्त किए जाने की शक्ति प्राप्त है।

विदित हो कि संविदा/दैनिक वेतनभोगी/आऊटसोर्स कर्मियों को भविष्य निधि का लाभ दिए जाने के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर जनहित याचिका CWJC No. 17372/2017 से उद्भूत अवमाननावाद सं0–2915/2018 (शंभूशरण सिंह बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य) में दिनांक–10.04.2019 को दिये गये न्यायादेश में उक्त अधिनियम के अनुपालन संबंधी निदेश दिये गये हैं। मामले में अगली सुनवाई माह जुलाई, 2019 के प्रथम सप्ताह में निर्धारित है।

अतः उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है कि आपके कार्यालय में वर्तमान में कार्यरत सभी संविदा/दैनिक वेतनभोगी कर्मियों का 100% EPF Enrollment सुनिश्चित करते हुए सभी पंजीकृत कर्मियों का अंशदान नियोक्ता अंशदान सहित EPFO कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

साथ ही अप्रैल, 2019 से प्रतिमाह नियोक्ता अंशदान सहित समेकित राशि EPFO कार्यालय को उपलब्ध कराने संबंधी साक्ष्य के साथ विभाग को निरन्तर रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

इस संबंध में किसी भी कठिनाई के समाधान हेतु संलग्न सूची के अनुसार पदाधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है।

कृपया इसे आवश्यक समझा जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
3.5.19
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–01/स्था0 (विविध)–13/2017 2275 /न0वि0एवं.आ0वि0, पटना,दिनांक–03/05/19

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

3.5.19
सरकार के विशेष सचिव।

पत्रांक–01/स्था0 (विविध)–13/2017 ...2148........ न0वि0एवं.आ0वि0

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

चैतन्य प्रसाद
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

अत्यावश्यक/महत्वपूर्ण

नगर आयुक्त,
सभी नगर निगम (पूर्णियॉ को छोड़कर)।
कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी नगर परिषद।

पटना, दिनांक–24/04/19

विषयः– **कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रर्कीण उपबंध अधिनियम 1952 के अनुपालन के संबंध में।**

प्रसंगः– **विभागीय पत्रांक–1694 दिनांक–19.03.19**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में कहना है कि कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रर्कीण उपबंध अधिनियम 1952 के अनुपालन के क्रम में आपके कार्यालय में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी/संविदा पर नियोजित कर्मियों को नियमानुसार कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ दिया जाना है।

अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन नहीं किये जाने के आलोक में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को युक्तियुक्त अर्थदण्ड अधिरोपित करने तथा बैंक खाता जब्त करने की शक्ति प्राप्त है।

विदित हो कि संविदा/दैनिक वेतन भोगी/आउटसोर्स कर्मियों को कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ दिये जाने के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में जनहित याचिका सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–17372/2017 से उद्‌भूत अवमानना वाद सं0–2915/2018 (शम्भूशरण सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) दायर है।

तद्आलोक में आपके कार्यालय में कार्यरत ऐसे कर्मियों को कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ दिए जाने के संदर्भ में संलग्न विहित प्रपत्र के अनुसार सूचनाएँ वांछित है।

अतः अनुरोध है कि संलग्न विहित प्रपत्र में सूचना अंकित करते हुए MIS के माध्यम से विभाग को दिनांक–27.04.2019 तक वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

अनु0 – यथोक्त।

विश्वासभाजन,
24/4/2019
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–01/स्था0 (विविध)–13/2017 2148 /न0वि0एवं0आ0वि0,पटना,दिनांक–24/04/19

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालय, पटना/प्रबंधक, एम0आई0एस0, इन्दिरा भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/4/2019
सरकार के प्रधान सचिव।

D:\LETTER-2019\ALL LETTER.docx - 196 -

(131)

पत्रांक–01/स्था0(विविध)–13/2017/694 /न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
सभी नगर निगम।
कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी नगर परिषद।

पटना, दिनांकः– 19/3/19

विषयः– कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के विभिन्न उपबंधों का अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के विभिन्न उपबंधों के अधीन आपके कार्यालय में कार्यरत संविदा/दैनिक वेतनभोगी/आऊट सोर्स कर्मियों को नियमानुसार कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ दिया जाना है।

इस संबंध में समय–समय पर विभागीय निदेश संसूचित किया जा चुका है।

विदित हो कि संविदा/दैनिक वेतनभोगी/आऊट सोर्स कर्मियों को भविष्य निधि का लाभ दिये जाने के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर जनहित वाद सं0–सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–17372/2017 से उदभूत अवमाननावाद सं0–2915/2018 (शंभूशरण सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में सुनवाई के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय अप्रसन्नता प्रकट की गई है एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से इसका अनुपालन प्रतिवेदन मांगा गया है। मामले में अगली सुनवाई दिनांक–03.04.2019 को निर्धारित है।

अतः उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है कि :–

1. आपके कार्यालय में वर्तमान में कार्यरत सभी संविदा/दैनिक वेतनभोगी कर्मियों का 100% EPF enrollment सुनिश्चित किया जाय।

2. सभी पंजीकृत कर्मियों का अंशदान नियमानुसार कटौती कर EPFO को उपलब्ध कराया जाय।

3. आपके कार्यालय में कार्यरत कर्मियों के संबंध में अद्यतन सूचना संलग्न विहित प्रपत्र में अंकित कर पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर MIS के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

4. यह सुनिश्चित किया जाय कि आऊट सोर्स एजेंसियों के द्वारा उनके पात्र कर्मियों को भी कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ दिया जाय।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

19.3.19

सरकार के विशेष सचिव।